



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 457]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 8, 2019/श्रावण 17, 1941

No. 457]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 8, 2019/SHRAVANA 17, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2019

सं. 58/2019-सीमा शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 566(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उप-धारा (1) के उप-वाक्य (कक) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/97-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 जिसे सा. का. नि. 193 (अ), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, मध्य प्रदेश राज्य से संबन्धित क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (viii) तथा कॉलम (3) और (4) में दी गयी उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)
“(ix) ग्राम- तीही, तहसील- अंबेडकर नगर, (महो), जिला- इंदौर	आयातित माल को उतारना तथा निर्यात माल को चढ़ाना”

[फा. सं. 434/23/2017-सीमाशुल्क IV]

जुबैर रियाज़, निदेशक (सीमाशुल्क)

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना सं. 12/97-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 सा.का.नि. 193 (अ), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड (3), उपखण्ड (i) में प्रकाशित की गयी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 61/2018-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 11 जुलाई, 2018, सा.का.नि. 622 (अ), दिनांक 11 जुलाई, 2018 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2019

No. 58/2019-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 566(E).— In exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (1) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, hereby makes following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 12/97-CUSTOMS (N.T.), dated the 2nd April, 1997, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 193(E), dated the 2nd April, 1997, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 8 relating to the State of Madhya Pradesh, after item (viii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3) and (4) the following item and entries shall be inserted, namely:-

(3)	(4)
(ix) Village Tihi, Tehsil-Dr. Ambedkar Nagar(Mhow), District Indore	Unloading of imported goods and loading of export goods

[F.No. 434/23/2017-Cus IV]

ZUBAIR RIAZ, Director (Customs)

Note: The principal notification No. 12/97-CUSTOMS (N.T.), dated the 2nd April, 1997 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 193(E), dated the 2nd April, 1997 and last amended by notification No. 61/2018-CUSTOMS (N.T.), dated the 11th July, 2018 vide number G.S.R. 622(E), dated the 11th July, 2018.